राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 21888 दिनांकः 06-10-2023

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति (SLSC) की बैठक दिनांक 15.09.2023 की अनुपालना रिपोर्ट बाबत्।

प्रसंगः– राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति (SLSC) की बैठक कार्यवाही विवरण समसंख्यक क्रमांक 20785 दिनांक 29.09.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 04.10.2023 को आयोजित माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा आयोजित बैठक के दौरान विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति एवं प्रगति की समीक्षा की गई। प्रगति के दौरान राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति की तृतीय बैठक के बिन्दु सं. 3 (संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण) जिसमें लाईन डिपार्टमेंट (कार्यकारी संस्था) क्रमशः सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रू. 50–50 करोड़ के कार्यों का क्रियान्वयन कर्न्वजेन्स के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यों की कार्य योजना तैयार कर, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक IRGY से स्वीकृति जारी करवाकर कार्यों को प्रारंभ करवाये जाने के क्रम में **राज्य स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी कर, निर्देशों की प्रति इस विभाग को भिजवाये जाने का श्रम करावें। जिससे की माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रगति से अवगत करवाया जा सके।**

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

6/10/23
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 21889 - 21892 दिनांकः 06-10-2023
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, (IRGY), जयपुर।

Sd—
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in
क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 20785 दिनांकः 29/09/2023

राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति की तृतीय बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.09.2023 को श्रीमान शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, निदेशालय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति (SLSC) की बैठक का आयोजना किया गया। बैठक में राज्य स्तरीय समिति एवं विशेष आमंत्रित निम्नांकित सदस्यों के द्वारा भाग लिया गयाः–

1. श्री हृदेश कुमार जुनेजा, संयुक्त सचिव (व्यय–III), वित्त विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. डॉ. मानवी विजय, संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. श्री एस. आर. यादव, सी. सी. एफ., वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. श्री एम. के. कौशिक, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. श्री भूपेन्द्र माथुर, परियोजना निदेशक (आई.आर.जी.वाई.), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. श्री महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. श्री कविता चौधरी, सचिव (भर्ती आयोग), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. श्री अशोक मीणा, सयुक्त निदेशक (आई.टी.), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
9. श्री राजेश मीना, अतिरिक्त परियोजना निदेशक (आई.आर.जी.वाई.), जयपुर, राजस्थान।

1. परियोजना निदेशक के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया एवं सर्वप्रथम "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" की गत बैठक दिनांक 16.03.2023 की अनुपालना रिपोर्ट पर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा दिनांक 16.03.2023 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण का सर्वसहमति से अनुमोदन किया गया।

2. दिनांक 16.03.2023 की बैठक कार्यवाही विवरण की अनुपालना रिर्पोट के अनुमोदन उपरांत विभागीय पत्रांक 19963 दिनांक 06.09.2023 में निर्धारित बैठक एजेण्डा के अनुसार अध्यक्ष एवं शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अनुमति के उपरांत बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। ऐजेण्डा के बिन्दुओं पर समीक्षा एवं लिए गये निर्णय का विवरण निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा का बिन्दु संख्या	विवरण	कार्यवाही विवरण
1	वित्तीय वर्ष 2023–24 (01.04.2023 से 14.09.2023) तक की प्रगति का विवरण	परियोजना निदेशक के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 (01.04.2023 से 14.09.2023) तक की प्रगति का विवरण परिशिष्ट–1 के अनुरूप उपस्थित सभी सदस्यो को अवगत कराया गया।
2	आयक्त एवं अधिशाषी अधिकारियों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भुगतान किये जाने हेतु पूर्णरूपेण अधिकृत किये जाने बाबत्।	राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु रोजगार गारंटी अधिनियम विधेयक–2023 लागू किये जाने के उपरान्त नियोजित श्रमिकों को भुगतान निर्धारित 15 दिवस में किया जाना आवश्यक किया गया है। विलम्ब से भुगतान किये जाने पर शास्ति (पेनल्टी) लगाये जाने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। अतः श्रमिकों को निर्धारित अवधि में भुगतान किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः– वित्त विभाग के द्वारा जारी अनुमोदित मार्ग–दर्शिका के बिन्दु संख्या 12(V) के अनुसार :– "कार्य की मस्टरोल, माप–पुस्तिका व कार्य का आकंलन प्रमाण–पत्र को 7 दिवस में पूर्ण करना होगा एवं कार्यो के पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती Geo Tagged Photographs को MIS Portal पर अपलोड़ करना होगा। बिल पारित होने के उपरान्त श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पोर्टल के माध्यम

		से ऑनलाईन आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखाधिकारी/लेखा कार्मिक के सयुक्त हस्ताक्षरों से प्रत्येक 15 दिवस में बैंक खाते में राजस्थान पेमेंट पोर्टल (RPP)/IRGY-Urban MIS Portal के माध्यम से किया जावेगा। उक्त राशि का भुगतान 15 दिवस (पाक्षिक) का कार्य समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर करना होगा। **उक्त क्रम में अनुमोदित मार्ग–निर्देशिका के बिन्दु संख्या 12(V) में निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है:–** **"बिल पारित होने के उपरान्त श्रमिकों की मजदूरी के साथ सामग्री मद का भुगतान भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखाधिकारी/लेखा कार्मिक के सयुक्त हस्ताक्षरों से प्रत्येक 15 दिवस में बैंक खाते में राजस्थान पेमेंट पोर्टल (RPP)/IRGY-Urban MIS Portal के माध्यम से किया जावेगा।** **राज्य स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा सर्व सहमति से आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखाधिकारी/लेखा कार्मिक के सयुक्त हस्ताक्षरों से प्रत्येक 15 दिवस में बैंक खाते में राजस्थान पेमेंट पोर्टल (RPP)/IRGY-Urban MIS Portal के माध्यम से भुगतान कराये जाने का अनुमोदन किया गया।**
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग के द्वारा योजनान्तर्गत PIA (कार्यकारी संस्था) के रूप में कार्यो का क्रियान्वयन करवाये जाने बाबत्।	परियोजना निदेशक के द्वारा विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत कार्यो का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः– 1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा अबतक केवल 2 कार्य राशि 9.78 लाख के प्रस्तावित कर स्वीकृत करवाये गये है। 2. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यो की स्वीकृति नहीं करायी गई है। अतः प्रगति शुन्य है। 3. वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा 10 कार्य 105.78 लाख के स्वीकृत कराये गये है। श्री एस. आर. यादव, सी.सी.एफ. के द्वारा प्रगति की समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत उनके विभाग द्वारा 139 कार्य 21.84 करोड़ के प्रस्तावित किये गये है। उक्त प्रस्तावित कार्यो में से 53 कार्यो की स्वीकृति 12.56 करोड़ राशि के स्वीकृत करवाये जा चुके है। शासन सचिव महोदय द्वारा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगरीय विकास के उपस्थित अधिकारियों से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रू. 50–50 करोड़ के कार्यो का क्रियान्वयन कर्न्वजेन्स के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यो की कार्य योजना तैयार कर, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक आई.आर.जी.वाई. से स्वीकृति जारी करवाकर कार्यो को प्रारम्भ करवाये जाने एवं राज्य स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किये जाने एवं **संबंधित लाईन डिपार्टमेन्ट के राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किये जाने एवं उनके द्वारा की कार्यवाही का विवरण इस विभाग को भिजवाये जाने बाबत् अनुरोध किया गया।**
4	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।	i. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में नवसृजित नगर पालिका, नगर परिषद एवं क्रमोन्नत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में एवं राज्य स्तर पर अतिरिक्त पदों का सृजन एवं राशि की स्वीकृति किये जाने बाबत्। संविदा परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम (1), नवसृजित नगर परिषद (1), क्रमोन्नत नगर परिषद (16), नवगठित नगर पालिका (36) के लिये अतिरिक्त/नवसृजित कुल 500 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति एवं अतिरिक्त राशि (165.36 करोड़) की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। उक्त नवगठित नगर पालिका, नगर परिषद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का स्टाफ नियुक्त नहीं होने के कारण

		कार्यो का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। पदों के सृजन की स्वीकृति एवं निकायों को कार्य करवाये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग से संबंधित प्रत्रावली वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जावेगी। ii. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संविदा कार्मिकों के रिक्त पदों को भरे जाने बाबत्। सचिव, भर्ती आयोग के द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के विभिन्न निकायों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 160, लेखा सहायक के 51, एम.आई.एस. मैनेजर के 55 एवं शहरी रोजगार सहायक के 194 पद रिक्त होने के कारण योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकुल प्रभाव हो रहा है। वर्ष 2022–23 में जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में स्वीकृत पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी परन्तु विभिन्न नगरीय निकायों में उपरोक्तानुसार आदिनांक पद रिक्त चल रहे है। अतः नवीन सिरे से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा उनके जिलो में रिक्त पदों हेतु नियमानुसार विज्ञप्ति जारी की जाकर पदों को भरवाया जाना प्रस्तावित है। शासन सचिव महोदय द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करे जाने हेतु सचिव भर्ती आयोग को निर्देशित किया गया।

बैठक के अन्त में परियोजना निदेशक (आई.आर.जी.वाई.), स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त कर बैठक को अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत समाप्त किया गया।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY / 2023–24 / 20786–21127 दिनांक: 29 / 09 / 2023

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बासंवाड़ा,सीकर एवं पाली।
10. समस्त जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान।
11. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक (हाउसिंग), रूडसिको, जयपुर, राजस्थान।
15. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव (भर्ती आयोग), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, समस्त राजस्थान।
18. समस्त उप वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान।
19. समस्त आयुक्त, नगर निगम (संभाग मुख्यालय), राजस्थान।
20. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
21. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।
22. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम (संभाग मुख्यालय), राजस्थान।
23. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिका, समस्त राजस्थान।
24. प्रोग्रामर / स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परियोजना निदेशक (IRGY)

LETTER 1ST/Letter 2nd/356